हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

राजस्व वाद संख्या 02/2021

अनवान मांगु खां के वारिसान बनाम पीरू खां के वारिसान

14/9/2022

पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 01 के वारिसान वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 02 अनुपस्थित प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. वास्ते–निरस्त करने वाद बाबत् पर बहस सुनी गई। वकील प्रतिवादी की बहस है,कि दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर विवादित भूमि की मौका रिपोर्ट मंगवाई गई थी,जिसके अनुसार वाद में प्रश्नगत भूमि नगर–परिषद बालोतरा के नाम दर्ज है,जो भूमि जरिये धारा 90 A RLR ACT के तहत भूमि दर्ज होने से वाद का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय का नहीं होने के कारण वाद विधि से वर्जित होने के कारण वाद खारिज फरमाया जावें।

इसके विपरीत वकील वादीगण की बहस है,कि प्रतिवादी की ओर से सारहीन तथ्यों के आधार पर प्रार्थना–पत्र पेश की है, जो निरस्त योग्य है। क्योंकि विवादित भूमि वादीगण की पैतृक व पुश्तौनी है,जिस पर वक्त सेटलमेंट पूर्व से आदिनांक तक वादीगण की कब्जा काश्त में है,लेकिन सेटलमेंट विभाग के राजस्व कर्मियों की गलती से विवादित भूमि प्रतिवादी संख्या 01 के नाम गलत इन्द्राज हो गई थी,उक्त प्रविष्टि को निरस्त करवातें हुए वादीगण की खातेदारी भूमि में इन्द्राज करवाने हेतु वाद लाया है, जो माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में है। प्रतिवादी पक्ष द्वारा गलत तरीके से भूमि रूपान्तरण करवाया है,तो वह प्रारम्भ से ही शून्य व प्रभावहीन है, इस कारण प्रतिवादी का प्रार्थना–पत्र गलत तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज फरमाया जावें।

हमने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड व तथ्यात्मक रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यात्मक रिपोर्ट से स्पष्ट है, कि विवादित भूमि ग्राम बालोतरा का खसरा संख्या 400 वर्तमान में नगर परिषद बालोतरा के नाम राजस्व रेकर्ड (जमाबंदी) में दर्ज है। जब वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि ही नहीं रही,तो राजस्व न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का मामला बनता ही नहीं है, क्योंकि राजस्व न्यायालय कृषि जोत की भूमियों के संबंध में वाद–विवाद पर सुनवाई के लिए

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.05 19:11:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
बालोतरा

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व अहकाम की तामील
स्पष्ट है जबकि प्रश्नगत भूमि नगर परिषद् बालोतरा के नाम रेकर्ड में दर्ज है जो 90 A RLR ACT के तहत पारित आदेश पर ही दर्ज हुई होगी। ऐसी सूरत में हस्तगत प्रकरण विधि से वर्जित होने के कारण खारिज योग्य है। लिहाजा प्रतिवादी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण का दावा इस न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है,तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों। सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh S
Date: 2022.10.05 19:11:36
Reason: SelfAttested

मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः—श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस.

अनवान

वादीगण	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
1.मांगु खां पुत्र खुदाबक्स के वारिसान 1/1 सलीम पुत्र मांगु खां 1/2 सिकन्दर पुत्र मांगु खां 1/3 इमतियाज पुत्र मांगु खां 1/4 मौहीनुद्धीन पुत्र मांगु खां 1/5 बद्धीया बानो पत्नी मांगु खां जाति मुसलमान निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर		1. पीरू खां पुत्र इस्माइल खां के वारिसान 1/1 मुसे खां पुत्र पीरू खां के वारिसान 1/1/1 रोशन खां पुत्र मुसे खां 1/1/2 सपुरो बेवा मुसे खां 1/2 हनीफ खां पुत्र पीरू खां 1/3 अबास खां पुत्र पीरू खां 1/4 याकुब खां पुत्र पीरू खां 1/5 फकरूद्धीन पुत्र पीरू खां जति मोयला मुसलमान निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर 2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा व जिला बाड़मेर

राजस्व वाद बाबतः—88,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर :02/2021

निर्णय दिनांक :—14.9.2022

वादीगण की ओर से श्री रूगाराम कड़वासरा अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी की ओर से श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता की उपस्थिति, इस वाद में आज तारीख 14.9.2022 को श्री नरेश सोनी (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है कि**:—वादीगण का वाद इस न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 14.09.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.05 19:11:36 IST
Reason: SelfAttested